47
04.09.15

न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध (जाति प्रमाण पत्र) वाद सं0–120/09–10
जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
14/08/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री, पे0–स्व0 कुलदीप प्रसाद वैश्यंत्री, मो0–अलीनगर वार्ड सं0–01, थाना–एल0एन0एम0यु, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–3901/2005 जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.01.2009 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाद आवेदन दाखिल किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–09.01.2009 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है। "This writ application is allowed on this score alone. Annexure 7 is quashed. The matter is remanded back to the District Magistrate, Darbhanga who shall also issue notice to the petitioner, furnish him the materials based on which the order in this regard ought to be passed. Since the matter relates to the year, 2005....." आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पर अन्तःक्षेपक (Intervenor) बनने हेतु सुरेन्द्र चौधरी द्वारा दाखिल आवेदन पर विचारोपरांत इस न्यायालय द्वारा दिनांक–24.08.12 को स्वीकृत किया गया। इन्टरभेनर के रूप मे सुरेन्द्र चौधरी के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया। वाद आवेदन के समर्थन मे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक–10.03.2005 को तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय, दरभंगा द्वारा अपने ज्ञापांक–116 दिनांक–30.05.1995 द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिये जाने के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–3901/2005 दायर किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए आवेदक के सबुत के आधार पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। उनका यह भी कहना है कि शिकायतकर्त्ता का आरोप है कि आवेदक जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री धोबी जाति का नही है, बल्कि हरिजन होने का अनुचित लाभ प्राप्ति हेतु गलत जाति प्रमाण–पत्र धोबी जाति का बनवाकर लमान्वित हो रहे है तथा आवेदक का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद दास, पिता–श्री अनुप लाल दास, ग्राम–मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया है, जो तॉती जाति "ततमा" है, हरिजन नही है। इस संबंध में कहा गया है कि शिकायतकर्त्ता का यह आरोप पूर्णतः बेबुनियाद, गलत वो असत्य है। आवेदक का नाम जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री, पिता–कुलदीप	

प्रसाद वैश्यंत्री जाति धोबी है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का जन्म धोबी परिवार में 5 जनवरी 1962 में हुआ तथा फरवरी 1978 में ली एकेडमी फारविसगंज से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा पास किये। आवेदक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से इन्टर–मिडिएट एवं बी0 कॉम की परीक्षा पास किया। आवेदक का नाम–गंगा प्रसाद दास, पिता–अनुप लाल दास हरिजन होने के आरोप के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि तथाकथित अनुपलाल दास के बारे में मुसिंफ अररिया के अपील न्यायालय द्वारा टाईटिल सुट सं0–156/1987 में पारित आदेश दिनांक–16.08.1991 से उनके चौपाल जाति होने की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अनुपलाल दास को गलत तरीके से मेरे पिता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि वे जाति के चौपाल के रूप में ट्रायल न्यायालय तथा अपील न्यायालय के द्वारा धोषित किये जा चुके है। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे न तो गंगा प्रसाद दास है और न ही अनुपलाल दास के पुत्र है। बल्कि वे कुलदीप वैश्यंत्री के अकेले पुत्र हैं जो कि मधुलता ग्राम, रानीगंज प्रखण्ड, अररिया के निवासी है। अनुपलाल दास जिन्हें मेरे पिता के रूप में बताया जा रहा है। उनके घर पुत्र थे तथा वे आसाम में बस गये है। उनका स्पष्ट कहना है कि गंगा प्रसाद दास, पिता–अनुपलाल दास, जगदीश बैठा, पिता–कुलदीप बैठा तथा जगदीश वैश्यंत्री, पिता–कुलदीप प्रसाद वैश्यंत्री (स्वयं अपीलकर्त्ता आवेदक) तीनों अगल–अगल व्यक्ति हैं जो कि पूर्व में टाईटिल वादों में पारित आदेश से भी स्पष्ट होता है। आवेदक के पास प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा दिनांक–08.08.1977 को निर्गत धोबी जाति प्रमाण एवं 10+2 इन्टर स्तरीय ली अकादमी फारबिसगंज के प्राचार्य द्वारा प्रवेश पंजी के आधार पर निर्गत धोबी जाति का प्रमाण है। साथ ही आवेदक को विभिन्न स्तर से यथा वार्ड सदस्य, कॉलेज प्रधान आदि से धोबी होने का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक के द्वारा दिनांक– 23.05.2003 को राम औतार दास अधिवक्ता अपने नाम (जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री) निबंधित केवाला से जमीन खरीदा है, उसमें भी जाति धोबी अंकित है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों के आलोक में प्रतिपादित सिद्धान्त है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित जाति ही स्वीकार्य है। शिकायतकर्त्ता द्वारा भ्रामक आरोप लगाया है कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा के कार्यालय से आवेदक के नाम निर्गत जाति प्रमाण पत्र क्रम संख्या–7205 है, जो क्रमांक जारी ही नही हुआ इसके संबंध मे कहना है कि जाति प्रमाण पत्र संख्या 7205 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सदर, का प्रमाण पत्र संख्या है। आवेदक जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री धोबी जाति से है, जिस कारण आवेदक को जिला कल्याण शाखा, दरभंगा के ज्ञापांक संख्या–116/का0 दिनांक–30.05.95 से निर्गत जाति प्रमाण पत्र को दिनांक–10.03.2005 को निरस्त किये जाने संबंधित ओदश को बहाल करने का आदेश पारित करने का अनुरोध करते है।

इन्टरभेनर सुरेन्द्र चौधरी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि गंगा प्रसाद दास, पे0–अनुप लाल दास, ग्राम–विशनपुर मधुलता, थाना–रानीगंज, अररिया अनुमंडल, जिला–पूर्णिया अब अररिया जिला जो ततमा जाति (पिछड़ी जाति) के थे जिन्होंने गलत मंशा की सिद्धि हेतु अपना नाम बदलकर जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री कर लिया। उनका यह भी कहना है कि ग्राम विशनपुर मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया में जगदीश बैठा, पे0–कुलदीप बैठा, पति–विमला देवी रहते थे, जो अपनी गरीबी के कारण अपने पढ़ाई को जारी नही रख सके। गंगा प्रसाद दास, पे0–अनुप लाल के द्वारा अपने आपको जगदीश बैठा के स्थान पर जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री बनाकर अनुग्रह नारायण हाई स्कुल हंसा, कमलपुर में जगदीश बैठा के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन करा लिया गया। जबकि उनके गॉव मे जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री नाम का काई भी व्यक्ति नही है। पुनः गंगा प्रसाद दास के द्वारा अपना नाम बदलकर ली एकेडमी फारविसगंज मे वर्ग दशम् में नामांकन कराया गया जहॉ से वे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। गंगा प्रसाद दास बदले हुए नाम जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री के नाम से अन्तर स्नातक (वाणिज्य) फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज से उत्तीर्ण हुए। तथाकथित बदले हुए नाम से जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री ने जिला प्रशासन को सही यथा अधिवासी एवं जाति संबंधित तथ्य की जानकारी छुपाते हुए अपने को मोहल्ला अलीनगर वार्ड संख्या–01 दरभंगा का वासी बताते हुए अपना जाति धोबी होने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा के प्रमाण पत्र संख्या–7205 दिनांक–09.02.1993 से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के जाति प्रमाण पत्र संख्या–116 (क) दिनांक 30.05.1993 निर्गत कराये। उनका यह भी कहना है कि जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री के नाम से जिला दण्डाधिकारी दरभंगा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा के जाति प्रमाण पत्र सं0–7205 दिनांक–09.12.1993 के आधार पर की गयी है, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा वर्ष–1993 में मात्र 2724 क्रमांक तक ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत की गयी है। जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा से गलत ढ़ंग से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदक वी0आर0वी0 कॉलेज समस्तीपुर मे व्यख्याता के पद पर नियुक्त हुए है। साथ ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 1996 से लाभ प्राप्त करते आ रहे है। जब यह तथ्य प्रकाश में आया कि संदिग्ध व्यक्ति जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री द्वारा अपने आपको अलीनगर मोहल्ला वार्ड सं0–01 का वासी बताकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया है, तब तत्कालीन वार्ड पार्षद राम चन्द्र महथा ने दिनांक– 05.04. 2003 एवं 22.07.2003 को प्रतिवेदन समर्पित करते हुए जिला दण्डाधिकारी महोदय, दरभंगा से अनुरोध किया कि जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री नाम का काई भी व्यक्ति वार्ड सं0–01 में नही है जिस कारण तथाकथित जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाय। निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा पत्रांक–आर0जे0

08/01/2004वी (एस0सी) दिनांक–09.09.04 से जिलाधिकारी, दरभंगा को जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री के गलत ढ़ग से निर्गत जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही होने पर जिला रजक संघ ने एक दिवसीय धरना भी दिया। रजक संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लु0जे0सी0 से0–2138/2005 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–15.12.11 को पारित आदेश से इसी से संबंधित मामला दुसरे खण्ड पीठ में चलने के कारण वाद निष्पादित किया गया। अन्ततः जिला प्रशासन द्वारा जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री के नाम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र को अपने आदेश ज्ञापांक–66 दिनांक–10.03.2005 से रद्द करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सदर एवं निबंधक, ल0ना0मि0वि0, दरभंगा को दिया गया। उक्त जाति प्रमाण–पत्र को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीगंज के पत्रांक–1174 दिनांक–06.11.2004 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर रद्द किया गया जिसके पश्चात् निबंधक, ल0ना0मि0वि0वि0, दरभंगा द्वारा जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। जाति प्रमाण–पत्र रद्द किये जाने से विक्षुब्ध होकर जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–3901/2005 दायर किये जिसमें पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में जाँच की जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गंगा प्रसाद दास, पे0–अनुप लाल अपना नाम अपने गाँव के जगदीश बैठा, पे0–कुलदीप बैठा के स्थान पर जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री बनकर गलत मंशा से जाति प्रमाण–पत्र निर्गत कराये हैं। इन्होंने प्रशासन को धोखा देकर जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जो अनुसूचित जाति के एक सदस्य को पद का लाभ से वंचित रखने का अपराध किया गया है। रजक संघ द्वारा भी घोषणा किया गया है कि वैश्यंत्री ततमा जाति के है जिनका असली नाम गंगा प्रसाद दास है।

आवेदन के विद्वान अधिवक्ता एवं इन्टरभेनर के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों की सूक्ष्मता से परीशीलन करने उपरांत यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उनके पिता–का निवास स्थान ग्राम–मधुलता, प्रखण्ड–रानीगंज, जिला–अररिया है एवं पढ़ाई के क्रम में वे अपने परिवार के साथ दरभंगा जिला स्थानांतरित हो कर आये। जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे दावे का सत्यापन उनके पिता एवं परिवार के निवास स्थान से ही हो सकता है। राजस्व अभिलेख जिसमें आवेदन के वंश तथा जाति का उल्लेख होता है वह मात्र मूल निवास स्थान से ही ज्ञात हो सकता है। आवेदक प्रारम्भिक शिक्षा–दीक्षा के दौरान ग्राम–मधुलता, प्रखण्ड–रानीगंज, जिला–पूर्णियाँ (अब अररिया) में हुई है तथा दरभंगा जिला से मात्र उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई है। ऐसे में दरभंगा जिला से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र प्रमाणिक नही माना जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीगंज के द्वारा निर्गत पत्रांक–1174 दिनांक–06.11.2004 प्राप्त करने का प्रयास किया गया परंतु अद्यतन वह अप्राप्त रहा है। जिलाधिकारी,

दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.03.2005 जिसके द्वारा आवेदक का जाति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया गया है वह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीगंज के पत्रांक–1174 दिनांक–06.11.2004 एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–804 दिनांक–26.11.2004 पर आधारित है जिसे किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नही किया जा सका। कार्यालय द्वारा भी इसे उपलब्ध नही कराया जा सका जिससे मामला अधिक संदिग्ध हो जाता है।

आवेदक दरभंगा जिला से निर्गत प्रमाण–पत्र 116 दिनांक–30.05.1995 के आधार पर धोबी जाति होने का दावा करते है जबकि वे तथा उनके पिता आदि दरभंगा के मूल निवासी नही रहें है। अन्य व्यक्ति अथवा कार्यालय यथा कॉलेज/विद्यालय / संघ / वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की कोई वैधानिक मान्यता नही दी जा सकती है। अतः सम्यक विचारोपरांत श्री जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री, पिता–कुलदीप प्रसाद वैश्यंत्री, मोहल्ला–अलीनगर, वार्ड संख्या–01, दरभंगा को दरभंगा जिला से निर्गत प्रमाण–पत्र संख्या–116 दिनांक–30.05.1995 को रद्द किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है तदनुसार जिला कल्याण कार्यालय दरभंगा से निर्गत आदेश ज्ञापांक–66/क0 दिनांक–10.03.2005 को सम्पुष्ट किया जाता है तथा आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को खारिज किया जाता है। साथ ही इस आदेश की एक प्रति जिला पदाधिकारी, अररिया एवं जिला पदाधिकारी, पुर्णियाँ को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

आवेदक को यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में किसी भी कार्यालय से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु दाखिल आवेदन के साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति निश्चित रूप से लगाकर आवेदन दाखिल करेंगे। यदि आवेदक द्वारा ऐसा नही करने पर उन्हे प्राप्त जाति प्रमाण–पत्र की वैधता संदिग्ध मानी जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–3901/2005 जगदीश प्रसाद वैश्यंत्री बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.01.09 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद निष्पादित किया जाता है।

14/8/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।